"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2009—श्रावण 1, शक 1931

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2009

क्रमांक 01/चार/रा.स.चु./2009/2925.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का अधिसूचना संख्या 100/रा.स.-छ. ग./1/2009 (1) एवं (2) दिनांक 23 जुलाई, 2009 राज्यसभा निर्वाचन-2009 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम का राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई, 2009—श्रावण 1, 1931 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/रा.स.-छ.ग./1/2009 (1).—यत:, छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित श्री दिलीप कुमार का स्थान, उनकी पदावधि जो 29 जून, 2010 को सम्मिलित करते हुए, उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व लोक सभा में उनका निर्वाचन हो जाने के कारण 16 मई, 2009 को रिक्त हो गया है; और

यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है ;

अत: अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :—

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 12 अगस्त, 2009 (बुधवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :—

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	30 जुलाई, 2009 (गुरुवार)
(ख)	नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	31 जुलाई, 2009 (शुक्रवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	3 अगस्त, 2009 (सोमवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	10 अगस्त, 2009 (सोमवार)
	और	
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	12 अगस्त, 2009 (बुधवार)

नियत करता है ; और,

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ है तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 23rd July, 2009— Sravana 1, 1931 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CS-CHH/1/2009 (1).—Whereas, the seat of Shri Dilip Kumar in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Chhattisgarh, has become vacant on 16th May, 2009 by the reason of his election to the Lok Sabha, before the expiration of his term of office which was upto and including the 29th June, 2010; and

Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused ;

Now, Therefore, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Chhattisgarh to elect, before 12th August 2009 (Wednesday), and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States ;

(B) appoints, with respect to the said election ;

(a) the 30th July, 2009 (Thursday), as the last date for making nominations;
(b) the 31st July, 2009 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;
(c) the 3rd August, 2009 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
(d) the 10th August, 2009 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
(e) the 12th August, 2009 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 9.00 A. M. to 4.00 P. M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd/-

(R. K. SHRIVASTAVA)
Secretary to the
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई, 2009—श्रावण 1, 1931 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/रा.स.-छ.ग./1/2009 (2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा तारीख 23 जुलाई, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य में राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन के संबंध में :—

(i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है.

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी (2)
सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	उप सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा

आदेश से,

हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 23rd July, 2009— Sravana 1, 1931 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CS-CHH/1/2009 (2).—In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Chhattisgarh, hereby—

(i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer ; and

(ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions ;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 23rd July, 2009 :—

TABLE

Officer Designated as Returning Officer (1)	Officer Appointed as Assistant Returning Officer (2)
Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly	Deputy Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly.

By order,

Sd/-

(R. K. SHRIVASTAVA)
Secretary to the
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.